न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 874 सन 2019

अनवान :–

1. सुलतान पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. चेतराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
3. धर्मपाल पुत्र मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. हरजीराम पुत्र चुन्नीराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर

असल प्रतिवादी

2. इमरती देवी पत्नी मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
3. वेदप्रकाश पुत्र मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. रमेश कुमार पुत्र मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
5. चन्द्रकला पुत्री मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
6. रतनीदेवी पुत्री मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
7. राजबाला पुत्री मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
8. सरोज पुत्री मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 17/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 97/82 की कुल 6.3250हैक वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम मुश्तरका खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 15 डीपीएन के प0न0 394/445 के किला न0 11/10 बिश्वा, 20 ,21 की 2.00 बीघा कुल 2.10 बीघा भूमि सुलतान , मोहरसिह, व चेतराम पि0 लालचन्द ने दिनांक 24.12.1980 को हरजी पुत्र चुन्नीराम से खरीद की गई थी सहवन से इस खरीद की गई भूमि का नामान्तकरण दर्ज नही हुआ मोहरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है जिनके नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हो पाइ है जिसे हरजीराम के नाम से दर्ज 80 हिस्सा में से 50 हिस्सा भूमि कलमजन करवाई जाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 80 हिस्सा में से 50 हिस्सा भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या2 ता 8 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि में से 50 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 ,2 एव मोहरसिह को दिनांक 24.12.1980 को बेचान की जाकर कब्जा भूमि का सभला

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

दिया था मोहरसिह पुत्र लालचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 3 एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 है जो अपने पिता मोहरसिह के हक हिस्सा की भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बेचान की गई 50 हिस्सा भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने भी निवेदन किया की उनके पूर्वजो के द्वारा खरीद की गई भूमि में से उनके हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 8 ने व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 97/82 की कुल 6.3250हैक वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम मुश्तरका खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 15 डीपीएन के प0न0 394/445 के किला न0 11/10 बिश्वा, 20 ,21 की 2.00 बीधा कुल 2.10 बीधा भूमि सुलतान , मोहरसिह, व चेतराम पि0 लालचन्द ने दिनांक 24.12.1980 को हरजी पुत्र चुन्नीराम से खरीद की गई थी सहवन से इस खरीद की गई भूमि का नामान्तकरण दर्ज नही हुआ मोहरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है जिनके नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हो पाइ है जिसे हरजीराम के नाम से दर्ज 80 हिस्सा में से 50 हिस्सा भूमि कलमजन करवाई जाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिसके सम्बध में प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका हे।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी राहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 97/82 की कुल 6.3250हैक वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम मुश्तरका खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वादीगण संख्या 1 ,2 एव वादी संख्या 3 एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के पिता मोहरसिह ने प्रतिवादी संख्या 1 हरजीराम से दिनांक 24.12.1980 को खरीद की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की उसके द्वारा बेचान की गई भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वादीगण को कथन है हरजीराम से भूमि वादी संख्या 1 ,2 एव मोहरसिह ने खरीद की थी मोहरसिह का देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 3 एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है जो मोहरसिह के हिस्से की भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 97/82 की कुल 6.3250हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 80 हिस्सा दर्ज है में से 50 हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 30 हिस्सा, एव वादी संख्या 1 सुलतान के नाम 80 हिस्सा,के स्थान पर 97 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 चेतराम के नाम 80 हिस्सा के स्थान पर 97 हिस्सा व वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 बहिब 80 हिस्सा के स्थान पर 96 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुलतान पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2 चेतराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
3 धर्मपाल पुत्र मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 हरजीराम पुत्र चुन्नीराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर

असल प्रतिवादी

2 इमरती देवी पत्नी मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
3 वेदप्रकाश पुत्र मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4 रमेश कुमार पुत्र मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
5 चन्द्रकला पुत्री मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
6 रतनीदेवी पुत्री मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
7 राजबाला पुत्री मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
8 सरोज पुत्री मोहरसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 874 सन 2019 निर्णय दिनांक– 17/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 97/82 की कुल 6.3250हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 80 हिस्सा दर्ज है में से 50 हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 30 हिस्सा, एव वादी संख्या 1 सुलतान के नाम 80 हिस्सा,के स्थान पर 97 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 चेतराम के नाम 80 हिस्सा के स्थान पर 97 हिस्सा व वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 बहिब 80 हिस्सा के स्थान पर 96 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner